

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 3-11-17

सं०-14/प्र० 108/2017-सा०प्र०-13906/ वित्त विभागीय संकल्प सं० 7566 दिनांक -14.7.10 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित तिथि से पे-बैंड ₹ 37400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/- (अपुनरीक्षित) में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्ष 2008 का कोटि क्रमांक	तृतीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4
1.	श्री रंजन झा	91	01.01.09
2.	श्री राम विलास पाठक,	95	01.01.09
3.	श्री राम कुमार पांडेय	98	01.01.09
4.	श्री कमलेश्वर गिरि	105	01.01.09
5.	श्री सुरेश चन्द्र लाल	107	01.01.09
6.	श्री अनिल कुमार वर्मा	108	01.01.09
7.	श्री अर्जुन प्रसाद	110	01.01.09
8.	श्री लक्ष्मेश्वर झा	113	01.01.09
9.	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	116	01.01.09
10.	श्री परमानन्द झा,	118	01.01.09
11.	श्री राम बाबू सिंह	120	01.01.09
12.	श्री धर्मेश्वर ठाकुर	122	01.01.09
13.	श्री विरेन्द्र कुमार	124	01.01.09
14.	श्री विजय कुमार सिंह	125	01.01.09
15.	श्री शरद चन्द्र झा	136	21.05.09
16.	श्री राघवेन्द्र झा	145	22.05.09
17.	श्री रामनरेश प्रसाद सिंह,	146	21.05.09
18.	श्री रामरूप सिंह	150	31.05.09

&

19.	श्री उपेन्द्र कुमार	157	15.05.09
20.	श्री हरिहर प्रसाद सिंह,	160	15.05.09
21.	श्री जगन्नाथ मंडल	183	13.05.10
22.	श्री अदालत सिंह	190	10.05.10
23.	श्री राधा मोहन प्रसाद	193	03.06.10
24.	श्री राजेन्द्र प्रसाद ओझा	204	24.06.10
25.	श्री प्रभात शंकर	205	20.06.10
26.	श्री सआदत हसन मिंटु	210	15.07.10
27.	श्री परशुराम मिश्र	211	12.05.10
28.	श्री कुमार विनोद नारायण सिंह	213	09.05.10
29.	श्री कौशल किशोर सिंह	214	10.05.10
30.	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा	215	19.05.10
31.	श्री कुमार व्यास सिंह कश्यप	216	19.05.10
32.	श्री भवानी प्रसाद,	217	09.05.10
33.	श्री दीपक कुमार सिन्हा	219	12.05.10
34.	श्री मुकेश कुमार सिन्हा	221	22.05.10
35.	श्री अजय कुमार सिन्हा	222	13.05.10
36.	श्री परमानन्द सिंह	223	23.06.10
37.	श्री विनोद प्रसाद सिंह,	224	07.05.10
38.	श्री घनश्याम प्रसाद दफतुआर	226	28.07.10
39.	मो० हसनैन खाँ,	230	05.05.10
40.	श्री मिथिलेश कुमार सिंह,	232	10.05.10
41.	श्री अशोक प्रियदर्शी,	234	6.01.10
42.	श्री अरुण कुमार सिंह	235	23.06.10
43.	श्री शंकर झा	236	02.05.10
44.	श्री निर्मल कुमार सिहानियाँ	237	13.05.10
45.	श्री अशोक कुमार झा	238	12.05.10
46.	श्री अरुण कुमार सिंह,	242	17.05.10
47.	श्री फणीन्द्र भूषण पाठक	243	05.05.10
48.	श्री सुरेश कुमार सिन्हा	244	05.05.10

8


49.	श्री वेद प्रकाश	245	07.05.10
50.	श्री उपेन्द्र नारायण सिंह	247	02.05.10
51.	श्री राजेश कृष्ण सिन्हा	249	05.05.10
52.	श्री अकील जुवैर हासमी	250	08.05.10
53.	श्री राम बुझावन चौधरी	251	09.05.10
54.	श्री रामानन्द झा	254	07.05.10
55.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	255	08.05.10
56.	श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी	258	10.05.10
57.	श्री जितेन्द्र कुमार झा	259	17.06.10
58.	श्री जीवन कुमार सिंह	261	12.05.10
59.	श्री हरिशंकर झा	263	16.05.10
60.	श्री सूरज प्रसाद	264	09.05.10
61.	श्री उपेन्द्र झा,	265	10.05.10
62.	श्री शंभुनाथ मिश्र,	266	16.05.10
63.	श्री विनोद कुमार झा	269	12.05.10
64.	श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा	270	12.05.10
65.	श्री राजनारायण लाल	273	09.05.10
66.	श्री रामएकबाल शर्मा	274	09.05.10
67.	श्री रामनाथ सिंह	276	10.05.10
68.	श्री निर्मल चन्द्र झा	277	19.05.10
69.	श्री जयशंकर प्रसाद यादव	278	06.05.10
70.	श्री सरयुग प्रसाद,	280	26.05.10
71.	मो. असलम अंसारी	281	27.05.10
72.	श्री बलराम सिंह	282	05.05.10
73.	श्री रामाश्रय कुमार	285	05.05.10
74.	श्री चन्द्रमा सिंह	289	09.05.10
75.	श्री जगदीश प्रसाद चौहान	290	14.05.10
76.	श्री कुमार ब्रज किशोर साहनी,	291	03.05.10
77.	श्री लक्ष्मी प्रसाद चौहान	293	28.05.10
78.	श्री चितरंजन सिंह	295	24.05.10

&

79.	श्री शमीम अहमद	299	09.05.10
80.	श्रीमती विमला प्रसाद	313	30.05.10
81.	श्री विरेन्द्र प्रताप	391	04.12.11
82.	श्री अजय कुमार सिन्हा	476	17.12.09
83.	श्री नवीन कुमार सिंह	560	1.07.17

- वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपर्युक्त पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के परिशिष्ट-1 के नियम 4 के अनुसार किया जाएगा ।
- वित्त विभागीय परिपत्र सं०-3637 दिनांक-10.04.2013 की कंडिका-2 के आलोक में वित्तीय उन्नयन की तिथि से अथवा वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने के संबंध में महालेखाकार, बिहार / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारित कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को एक माह के अन्दर विकल्प देना आवश्यक होगा ।
- उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के तहत दिये गये लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-14/प्र० 108/2017-सा०प्र०-12906

पटना-15, दिनांक- 2-11-17

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) / महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ आई० टी, मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 ,8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित



सरकार के अवर सचिव ।